



## कार्यालय: बागपत-बडौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण, बागपत।

पत्रांक श0मा0-32/बागपत/बा0व0खे0वि0प्रा0/मा00अनु0/2023-24 दिनांक 02/01/2024

श्री/श्रीमती/मै0-मी0 अहमद हमीद पुत्र रस0 कोकब हमीद, निवासी-130बी0 सिविल लाईन मेरठ, श्री आशीष कुमार पुत्र श्री गंगाराम, श्री सीताराम पुत्र श्री रिसाल सिंह एवं श्रीमती घनवंती पत्नी श्री गंगाराम निवासी-आर0जैड 217/1अ, जे ब्लॉक वेस्ट सागरपुर, साउथ वेस्ट दिल्ली

आपके पत्र दिनांक 29.08.2022 समन मानचित्र सं0-32/बागपत/2022-23 का सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित एकल आवासीय तलपट मानचित्र(भारत शिटी) प्रयोग हेतु की मीटल्ला/कालोनी/ग्राम खसरा संख्या-326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 346 एव 347 अन्तर हदद बागपत गिरीजनूर रोड बागपत, जनपद बागपत में निम्नलिखित शर्तों के साथ उ0प्र0 नगर योजना एव विकास अधिनियम की धारा 31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है।


1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पाँच वर्ष तक वैध माना जायेगा। उक्त अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण न होने की दशा में एक वर्ष की बढ़ोतरी दो बार पृथक-2 आवेदन करने पर दी जा सकती है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है, मवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यवसाय जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप मवन उप-नियमों के नियम 21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर मवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ऑकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. स्थल पर निर्माण के समय किसी भी दुर्घटना आदि की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
12. भूकम्परोधी निर्माण हेतु लिटल बैंड तथा ब्रिक वर्क में आवश्यक सरिया आदि की व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
13. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर मानचित्र निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
14. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्राविधानों के अनुरूप अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 के अधीन दण्डनीय होगा।

नोट-पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 01.02.2023 में वर्णित शर्तें लागू रहनी।

सलग्नक - स्वीकृत मानचित्र के प्रति।

प्रतिलिपि - क्षेत्रीय अवर अभियन्ता आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
21/1/24  
अपर जिलाधिकारी(वि0/सा0)/सचिव,  
बागपत-बडौत-खेकड़ा  
विकास प्राधिकरण, बागपत।